न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 08/2018

अनवान

1. धर्मपाल पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुभाष पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. नन्दराम पुत्र रतीराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्णा पुत्री नन्दराम पत्नि विनोद जाति नाई निवासी जनाणा हाल घर नं0 149 ईसरवाल तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा)
3. माया पुत्री नन्दराम पत्नि सुरेश जाति नाई निवासी जनाणा हाल घर नं0 101 ईसरवाल तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा)
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

5. मूलचन्द पुत्र रावताराम जाति नाई निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. अमरसिंह पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. शांति देवी पत्नि निहालसिंह
8. धर्मपाल पुत्र निहालसिंह
9. लिछमा पुत्री निहालसिंह

} जाति जाट निवासीगण चूली तहसील आदमपुर जिला हिसार।

10. मनीदेवी बेवा लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
12. दोलतराम पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
13. विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल **: वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 14·2·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 5 के नाम ग्राम 4 एमआरएन के खाता सं0 54/54 के

मु0नं0 51 के किला नं0 17, 18, 21 ता 24 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 4, 7, 8 कुल खसरा 12 कुल क्षेत्रफल 2.2520 है0 जिसमें नहरी 0.6820 है0 बारानी 1.4790 है0 गैरमु0 रास्ता 0.0910 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1, 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 एम आरएन खाता सं0 3/2 के मु0नं0 2 के किला नं0 24 मु0नं0 5 के किला नं0 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 24 मु0नं0 6 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0नं0 9 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 4, कुल किता 36 कुल क्षेत्रफल 8.0210 है0 जिसमें नहरी 7.9170 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.1040 है0 प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 ता 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 128 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने नाना व नानी सजना का गोद पुत्र होने के कारण विरासतन में प्राप्त हुई थी। नामा उदमी व नानी सजना का देहान्त हो चुका है तथा देहान्त के पश्चात उक्त नन्दराम व नन्दराम की माता केसर के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जिसमें केसर ने अपना हिस्सा बेयान कर दिया। लेकिन नन्दराम का हिस्सा आज भी नन्दराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीया सं0 2 ता 3 का जन्म से हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के साथ निहित है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादीगण की बहने है। विवाह के पश्चात् प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने खुश होकर उक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया तथा अपना अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 ता 13 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी सुभाष के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 एमआरएन खाता सं0 3/2 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 एमआरएन खाता सं0 54/54 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 3 महराना सम्वत् 2036 प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 4 महराना सम्वत् 2030 से 33 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 4 एमआरएन सम्वत् 2038 प्रदर्श 5, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 4 महराना सम्वत् 2034 से 37 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 3एमआरएन प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने विवादित कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि होना व मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 3 व 4 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने विवादित कृषि भूमि विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है, किन्तु वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वाद भूमि नन्दराम को विरासतन प्राप्त होना साबित होता हो। वादभूमि नन्दराम को उदमी से कब व किस प्रकार विरासतन प्राप्त हुई, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 8 इंतकाल में वादभूमि सजना बेवा उदमी, केसर पुत्री उदमी बहिस्सा बराबर 107 हिस्सा दर्ज है जो कि दूसरी तरफ नन्दराम पुत्र रतीराम कौम नाई के नाम 128 हिस्सा व केसर पुत्री उदमी के नाम 128 हिस्सा जरिये इन्तकाल दर्ज हुई है, उक्त इन्तकाल श्रीमान एसीएम भादरा के आदेश से होना अंकित है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श 8 से वादभूमि नन्दराम को विरासतन प्राप्त होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादभूमि को दादालाई/पैतृक सम्पति साबित करने बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहे है।

अत : वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 08/2018

अनवान

1. धर्मपाल पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुभाष पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. नन्दराम पुत्र रतीराम जाति नाई निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्णा पुत्री नन्दराम पत्नि विनोद जाति नाई निवासी जनाणा हाल घर नं0 149 ईसरवाल तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा)
3. माया पुत्री नन्दराम पत्नि सुरेश जाति नाई निवासी जनाणा हाल घर नं0 101 ईसरवाल तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा)
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

5. मूलचन्द पुत्र रावताराम जाति नाई निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. अमरसिंह पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. शांति देवी पत्नि निहालसिंह
8. धर्मपाल पुत्र निहालसिंह
9. लिछमा पुत्री निहालसिंह

} जाति जाट निवासीगण चूली तहसील आदमपुर जिला हिसार।

10. मनीदेवी बेवा लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
12. दोलतराम पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
13. विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ